रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 1991/वैशाख 6, 1913
No. 169] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 1991/VAISAKHA 6, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1991

सा.का.नि. 241(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी के सिविल निर्माण खंड में मुख्य इंजीनियर, स्तर-1 के समूह "क" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (मुख्य इंजीनियर स्तर-1) भर्ती नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3		5	6	7
मुख्य इंजीनियर (स्तर-1)	1* (1991) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	5900-200-6700 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 4500-5700 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 3700—5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नौ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है। 2. ऐसे विभागीय मुख्य इंजीनियर (स्तर-II) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने मुख्य इंजीनियर (स्तर-II) और अधीक्षण इंजीनियर के रूप में सम्मिलित रूप से नौ वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी विचार किया जाएगा और यदि मुख्य इंजीनियर (स्तर-I) के पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर/प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए.-12018/1/89-सी.डब्ल्यू. 1/बी. (डी.)]

का.अ. वरदन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 1991.

G.S.R. 241(E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' post of Chief Engineer (Level I) in the Civil Constructions Wing of the All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the All India Radio [Chief Engineer (Level I)] Recruitment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. :—

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other parity to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded with writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Chief Engineer (Level-I)	1* (1991) *Subject to variation dependent on work lead	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5900-200-6700.	Not Applicable	Not Applicable

Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By promotion/transfer on deputation	Promotion/Transfer on deputation. 1. Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with three years regular service in posts in the pay scale of Rs. 4500-5700 or equivalent or (iii) with nine years regular service in post in the pay scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; and (b) possessing degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. 2. The departmental Chief Engineer (Level II) with two years regular service in the grade or with nine years combined regular service as Chief Engineer (Level II) and Superintending Engineer will also be considered and in case he is selected for appointment to the post of Chief Engineer (Level I), the same shall be deemed to have been filled by promotion.	Not Applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

12

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years).

[F. No. A-12018/1/89-CW.I/B(D)]
K. A. VARADAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054, 1991